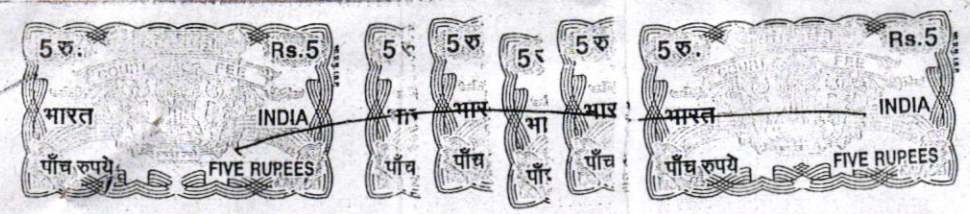

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

प्रकरण क्र

पुनर्विलोकन-4620/2018/भोपाल/भू.रा.

आकृति डेवलपमेन्ट प्रा.लि.
द्वारा राजीव सोनी आत्मज
श्री पी.डी सोनी, आयु - वयस्क
पता- आकृति हाउस बावडिया
कलॉ भोपाल म.प्र. --- पुर्नविलोकनकर्ता

आवेदक अभिभाषक श्री राजेन्द्र पांचाल द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 24/7/18

विरुद्ध

1. जलील खां आ. स्व. श्री फत्तू खां
आयु-वयस्क निवासी-ऐशबांग स्टेडियम
तहसील हुजूर, जिला-भोपाल म.प्र.
2. सलीम खां आ. स्व. श्री फत्तू खां
3. हकीम खां आ. स्व. श्री फत्तू खां
4. सुल्तान खां आ. स्व. श्री फत्तू खां
क्र.2 लगायत 4 सभी आयु-वयस्क,
निवासी-बाबड़िया कंला तहसील-हुजूर
जिला भोपाल म.प्र.
5. श्रीमति जाहिदा बी बेवा स्व. चांद खां
आयु-वयस्क निवासी-ऐशबांग स्टेडियम
तहसील हुजूर, जिला-भोपाल म.प्र.
6. शरीफ खां आ. स्व. श्री चांद खां
आयु-वयस्क निवासी-ऐशबांग स्टेडियम
तहसील हुजूर, जिला-भोपाल म.प्र.
7. शफीक खां आ. स्व. श्री चांद खां
आयु-वयस्क निवासी-ऐशबांग स्टेडियम
तहसील हुजूर, जिला-भोपाल म.प्र.
8. बाबू खां आ. स्व. श्री फत्तू खां
आयु-वयस्क हाल पता-म.नं.108,
नवीन नगर, कालोनी ऐशबांग स्टेडियम
जिला-भोपाल म.प्र.
9. संजय श्रीवास्तव तत्कालीन तहसीलदार
राजधानी परियोजना टी.टी. नगर भोपाल म.प्र.
10. अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी
परियोजना टी.टी. नगर भोपाल म.प्र.
11. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर

http://164.100.196.245:8080/Appeal/PartA

12. म.प्र. शासन --- अनावेदकगण

<u>पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भूराजस्व सहिता 1959</u>

उक्त पुर्नविलोकन आवेदन माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र. द्वारा प्रकरण क. 1043/पी.बी.आर./2017 में पारित आलौच्य अतिंम आदेश दिनांक 19.06.2018 के विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समय अवधि में विधिक ठोस आधारो पर न्याय हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(3)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **पुनर्विलोकन/4620/2018/भोपाल/भू.रा.**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल अपील प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक अपील 1043-पीबीआर/17 में पारित आदेश दिनांक 19-6-18 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	